कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कटनी (मध्य प्रदेश)

क्रमांक/ 3405 /आरडी0एम0/2021 कटनी दिनांक-16 - 04-2021

आदेश

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

--00--

कटनी जिले मे विगत कुछ दिनों से लगातार कोरोना के बढते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक 35/09/2021 दो/ सी–2 भोपाल दिनांक 12.04.2021 में दिये निर्देश के अनुक्रम में एवं जिला आपदा प्रबंधन की बैठक दिनांक 15.04.2021 में लिये निर्णय अनुसार तथा दिनांक 16.04.2021 को ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जनप्रतिनिधिगण, स्वयंसेवी संगठनों, व्यापारिक एवं सामाजिक संगठनों, रेसीडेंट वेल्फेयर कमेटियां, स्थानीय निकायों से विचार-विमर्श के दौरान लिये निर्णय अनुसार इस कार्यालय से जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3287/आर डी एम/2021 कटनी, दिनांक 07.04.2021 एवं आदेश क्रमांक 3307/आर डी एम/2021 कटनी, दिनांक 08.04.2021 के कंडिका 01 को निरंतर रखते हुये तथा शेष आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये मै प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला कटनी एतद् द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता **1973** की धारा **144** मे प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुये संपूर्ण कटनी जिले के लिये आगामी आदेश तक के लिये निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ –

(अ)1- संपूर्ण कटनी जिले (नगरीय/ग्रामीण) में दिनांक 17.04.2021 को प्रात: 06:00 बजे से दिनांक 23.04.2021 की सायं 06:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान समस्त प्रतिष्ठान बंद रहेंगे एवं सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

2- समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेगें।

3- समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक मनोरंजन, समारोह एवं अन्य बड़े जमावड़े प्रतिबंधित रहेगें।

4- समस्त होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं समस्त शराब की दुकाने (देशी, अंगेजी), बार, भांग एवं भांग घोटा की दुकान आदि पूर्णतः बंद रहेगें।

5- सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटखा सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा।

6- समस्त शासकीय/आशासकीय कार्यालय/न्यायालय बंद रहेंगे।

(ब) लॉकडाउन अवधि में जिन गतिविधियों को लॉकडाउन के बंधनो से मुक्त रखा जायेगा वे निम्नानुसार है-

7- अत्यावश्यक सेवायें प्रदान करने वाले शासकीय कार्यालय (जैसे-जिला कार्यालय, पुलिस विभाग, कार्यालय जिला पंचायत, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कार्यालय नगर पालिक निगम, विद्युत विभाग एवं संबंद्ध विभाग) खुले रहेंगे एवं विभाग में कार्यरत शासकीय कर्मचारी (केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय एवं अधिमान्य पत्रकार) केवल डियूटी के प्रयोजन से लाकडॉउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन उक्त कर्मचारी को अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा।

8- अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमन।

9- अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इन्श्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ एवं चिकित्सा सेवाएं।

10- केमिस्ट, किराना दुकाने (केवल होम डिलेवरी के लिए), रेस्टारेंट (केवल टेक होम डिलिवरी के लिये), पेट्रोल पंप, बैंक संस्थान एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें तथा ठेले (हाट बाजार को छोडकर)।

11- औद्योगिक इकाईंयां, औद्योगिक मजदूरों, उद्योग हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन, परंतु अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।

12- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म.प्र.)

13- केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानिय निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन, परंतु अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।

14- इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिये आवागमन।

15- कंस्ट्रक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन केम्पस/परिसर में रूके हों)

16- मनरेगा के कार्य - यह सुनिश्चित हो कि, समस्त ग्राम पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी रा./इंसीडेंट कमाण्डर के द्वारा अनुमति उपरांत ही मनरेगा के अंतर्गत कार्य संचालित हो, अगर कार्य अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया जाता है, तो कार्य तत्काल बंद कर दिया जायेगा।

17- कृषि संबंधी सेवाएं (जैसे कृषि उपज मण्डी, पी.डी.एस दुकानें, उपार्जन केंद्र, खाद्य, बीज, कीटनाशक दवाएं कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकानें आदि)

18- परीक्षा केंद्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुडे कर्मी, अधिकारीगण इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परंतु अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।

19- अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक (टोकन दिखाने पर) तथा कर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परंतु अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।

20- बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक, इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे परंतु टिकिट दिखाना अनिवार्य रहेगा।

21- अन्य राज्यों से राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाइवे से माल, सेवाओं का आवागमन (वायपास मे होते हुये) परिवहन, लोडिंग/अनलोडिंग के कार्य को छूट रहेगी।

22- रेल्वे स्टेशन से आवागमन का प्रबंध इस रीति अनुसार किया जाएगा जैसा कि, जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नियत किया जाएगा।

23- आई टी कंपनियों, बीपीओ/मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिटस।

24- मेडिकल इमरजेंसी हेतु आवागमन (एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड सेवायें एवं शव वाहन) इस आदेश से मुक्त रहेंगे।

25- सब्जी/फल विक्रेता के थोक/फुटकर व्यापार की व्यवस्था के लिये आयुक्त, नगर पालिक निगम, कटनी को अधिकृत किया जाता है। इस संबंध में नगर निगम द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जाएगा।

26- समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। गोडाउन से गैस का वितरण नही किया जावेगा।, गोडाउन से गैस की होम डिलेवरी किये जाने की छूट रहेगी। प्लांट से गोडाउन तक पहुचने हेतु उपयोग में आने वाले वाहनों को आने जाने छूट रहेगी।

27- घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर, हॉकर, एवं सब्जी विक्रेता प्रातः 06:00 बजे से 10:00 बजे तक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

28- जिले में धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना जाना प्रतिबंधित होगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा आदि की ममिति के पुजारी, मौलवी, पादरी, ज्ञानीजी (05 की संख्या से कम) द्वारा पूजा पाठ की जा सकेगी।

29- इस आदेश मे मुक्त की गई गतिविधियां एवं संबंधित आवागमन/परिवहन हेतु पृथक से किसी अनुमति/पास की आवश्यकता नही है। अपने साथ वैद्य आई डी/साक्ष्य रखना अनिवार्य है।

30- अन्य विशेष परिस्थितियों में अनुमति हेतु क्षेत्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी रा./इंसीडेंट कमाण्डर को अधिकृत किया जाता है।

उपरोक्तानुसार विशेष परिस्थिति में जिन गतिविधियों को लॉकडाउन के बंधनो से मुक्त रखा गया है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेस कवर/मास्क तथा शासन के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जारी गाईडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 की कार्यवाही की जावेगी।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म.प्र.)

इस आदेश की सूचना का प्रकाशन जिला कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, नगर पालिक निगम, नगर पालिक परिषद, जिला चिकित्सालय कार्यालय, जिला पंचायत कटनी, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालयों, समस्त तहसील कार्यालयों, समस्त जनपद पंचायत कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावे एवं

दैनिक समाचार पत्रों में भी इसका प्रकाशन समाचार के रूप में जनसम्पर्क विभाग द्वारा किया जावे तथा सार्वजनिक रूप से मुनादी कराकर सूचित किया जाए।

समस्त अनुविभागीय अधिकारी रा./कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/थाना प्रभारी/नगर पालिक निगम/सोशल डिस्टेंसिंग प्रणाली को दुकानो एवं अन्य संस्थानो में सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से दल गठित कर सतत निगरानी रखेंगे एवं पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान मे मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नही है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे। अत: यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

इस आदेश का पालन कराने के लिये समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक अथवा उमसें वरिष्ठ पुलिस कर्मी, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पंचायत एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त अथवा इससे वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने हेतु अधिकृत होंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

(प्रियंक मिश्रा)(IAS)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला कटनी म. प्र.

जिला मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/ 3405 /आर डी एम/2021
कटनी दिनांक 16 / 04/2021

प्रतिलिपि,

01. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल।
02. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
03. प्रमुख सचिव म०प्र० शासन सामान्य प्रशासन/गृह/स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
04. कमिश्नर महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
05. पुलिस अधीक्षक कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। एवं समस्त थाना प्रभारियों को उपलब्ध कराते हुये आदेश एवं निर्देश का सख्ती से पालन कराये जाने हेतु।
06. अपर जिला मजिस्ट्रेट कटनी की ओर सूचनार्थ।
07. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कट्नी की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं अनु विभागीय अधिकारी (राजस्व) कटनी/विजयराघवगढ/बहोरीबंद/ढीमरखेडा की ओर सूचनार्थ एवं आदेश निर्देशो का सख्ती से पालन कराये जाने हेतु।
09. तहसीलदारएवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कटनी/रीठी/बड़वारा/बरही/विजयराघवगढ/बहोरीबंद/ढीमरखेडा/स्लीमनाबाद
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कटनी की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. आयुक्त नगर पालिक निगम/नगर परिषद कैमोर विजयराघवगढ बरही की ओर सूचनार्थ।
12. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) जिला कटनी की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. समस्त कार्यालय प्रमुख .... कटनी की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. जिला जनसंपर्क अधिकारी कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म.प्र.)